पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), *E-mail ID- academicprsu2@gmail.com*

क्रमांक : 238 /अका./2020 रायपुर, दिनांक : 15/09/2020

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 में पूरक विषय सूची निर्णय क्रमांक 4 में **विनियम "कायिक निधि (कॉरपस फंड)"** का अनुमोदन किया गया है, जो निम्नांकित है –

विनियम क्रमांक–184
कायिक निधि (कॉरपस फंड)
(विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 के प्रावधान के अंतर्गत)
(EC under 10-09-2020)

1. **नाम :** यह विनियम **'कायिक निधि (कॉरपस फंड) विनियम'** के नाम से जाना जाएगा।
2. **क्षेत्र :** इस विनियम का प्रभाव क्षेत्र विश्वविद्यालय परिक्षेत्र होगा।
3. **मद :** इस निधि का एक बैंक खाता होगा, जिसे पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कायिक निधि (कॉरपस फंड) खाता के नाम से परिचालित किया जाएगा।
4. **उद्देश्य :**(1) इस संचित निधि का उपयोग विश्वविद्यालय की दूरगामी परियोजनाओं की स्थापना हेतु एवं आपात स्थिति में, उधार प्राप्त करने में होगा।

   (2) सामान्यतः इस निधि से प्राप्त वार्षिक ब्याज की 50 प्रतिशत राशि को विश्वविद्यालय के विकास हेतु व्यय किया जाएगा, जैसा कि कुलपति उचित समझें। इस हेतु उन विभागों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन विभागों से आय प्राप्त होती है।
5. **निधि :** इस मद में निम्न रीतियों से राशि की व्यवस्था की जाएगी –
   1. दान से, गैर आवासीय भवनों से प्राप्त सुविधा शुल्क/रख–रखाव शुल्क से, रद्दी के विक्रय से।
   2. गैर अनुदान मद के विश्वविद्यालय खाते में प्राप्त ब्याज की राशि से।
   3. अन्य उपायों से, जो कंडिका 8(3) में नियुक्त समिति के सुझाव जिसे कुलपति द्वारा अनुमोदन किया गया हो।
   4. विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम हेतु निर्मित परिनियम के प्रावधानानुसार विभाग को प्राप्त राशि का 20% प्रशासनिक शुल्क से।

6. **निधि का परिचालन :**

1. बैंक के बचत खाता में जमा राशि को प्रति माह अधिकतम ब्याज दर पर सावधि जमा में नियोजित किया जाएगा।
2. सावधि जमा के ब्याज की राशि प्रतिमाह इस निधि के खाते में जमा किया जाएगा।
3. सावधि निधि के परिचालन हेतु सुझाव, परिवर्धन, संशोधन, एवं निरसन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –
   अ– कुलपति द्वारा नामांकित दो सदस्य (जो प्राध्यापक स्तर का हो), जिनमें से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
   ब– कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर – सदस्य
   स– वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर – सदस्य सचिव
4. समिति की बैठक सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष के अप्रैल एवं अक्टूबर माह में अथवा आवश्यकतानुसार कुलपति के अनुमोदन से आयोजित की जा सकेगी।
5. इस निधि के उन्नयन एवं विस्तार के लिए समिति के सचिव के माध्यम से प्रस्ताव दिया जा सकेगा।

7. **संशोधन :** इस नियम के परिवर्धन, संशोधन एवं निरसन का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् को होगा।

8. **लेखाकरण:** इस निधि के लेखाकरण एवं संचालन की विधियाँ अन्य निधियों के समरूप ही होंगी

9. पूर्व से संचालित स्थायी निधि (Endowment Fund) इस विनियम के प्रभाव में आने की तिथि से इसके प्रावधानों के अंतर्गत ही संचालित होगी।

10. निधि के संचालन हेतु निर्मित विनियम के स्पष्टीकरण का अधिकार कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

आदेशानुसार,

Pandey 14.9.20

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 15/09/2020

पृ. क्रमांक : 239 /अका./2020

प्रतिलिपि :

01 आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी.–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
02. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
03 प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
05. उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11.9.20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)